



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2013/चैत्र 5, 1935

No. 155]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2013/CHAITRA 5, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013

सा.का.नि. 191(अ).—केंद्रीय सरकार, स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 9क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थ (नियंत्रक पदार्थों का विनियम), आदेश 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इस आदेश में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) अभिप्रेत है;

(ख) “परिशिष्ट” से इस आदेश से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत हैं;

(ग) “प्ररूप” से इस आदेश से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) “अनुसूची” से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. अनुसूची में नियंत्रित पदार्थों को सम्मिलित करने की शक्ति.—केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची में नियंत्रक या अधिक किसी नियंत्रित पदार्थ को सम्मिलित कर सकेगी।

4. अनुसूची ‘क’ में, नियंत्रक पदार्थों के विनिर्माण, व्यापार और वाणिज्य, कब्जा और उपभोग का प्रतिषेध.—(1) कोई भी व्यक्ति, अनुसूची ‘क’ में सम्मिलित किसी नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण, वितरण, विक्रय, क्रय, कब्जा, संग्रहण या उपभोग, आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो द्वारा जारी प्ररूप ‘क’ में किसी विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या के बिना नहीं करेगा :

परंतु इस खंड के अधीन रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा इस आदेश के प्रभावी होने के 180 दिन की अवधि के भीतर अनुपालन करना होगा।

परंतु यह और कि सरकार या स्वायत्त शासी संस्थानों, सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त स्कूलों या महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों, रजिस्ट्रीकृत वैज्ञानिक सोसाइटियों और अस्पतालों को शैक्षिक, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक प्रयोजनों के लिए अनुसूची-क में किसी नियंत्रित पदार्थ के उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त हैं।

(2) उपखंड (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो को प्ररूप-ख में करना होगा।

(3) आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो, प्ररूप-ख में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 कार्य दिवसों के भीतर प्ररूप क में कोई विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या जारी करेगा या रजिस्ट्रीकरण से इंकार करेगा।

(4) नियत समयावधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण संख्या जारी या इंकार नहीं करने की दशा में, आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी आवेदक को उसके कारणों की जानकारी देगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो खंड (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, यथास्थिति, प्ररूप-ग या प्ररूप-घ में दैनिक खाते रखेंगे और दैनिक खातों के अभिलेख अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सुरक्षित रखने होंगे।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, जो खंड (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, यथास्थिति, प्ररूप-ड या प्ररूप-च में त्रैमासिक विवरणी क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले संबंधित आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो को फाइल करेगा।

(7) प्रत्येक त्रैमासिक विवरणी, उक्त त्रैमासिक के आगामी मास की अंतिम दिन से पहले फाइल करनी होगी।

(8) प्रत्येक व्यक्ति, जो खंड (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थों के किसी क्षति या गायब हो जाने से संबंधित रिपोर्ट तत्काल संबंधित आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो को जिसके अधिकार क्षेत्र से ऐसी क्षति या गायब हो जाने की घटना हुई है, देगा और रिपोर्ट की प्रति महानिदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो, नई दिल्ली को भी पृष्ठांकित करेगा।

स्पष्टीकरण 1- इस खंड के प्रयोजन के लिए, अधिकारिता का क्षेत्र परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्रों का आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो होगा।

स्पष्टीकरण 2- इस खंड के प्रयोजन के लिए, “त्रैमासिक” पद से प्रत्येक वर्ष के जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर है।

5. **रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण-** खंड (4) के उपखंड (1) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का कोई धारक, यदि वह ऐसी वांछा करता है, जारीकर्ता प्राधिकारी को लिखित में सूचना द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण करेगा और उसकी अभिप्राप्ति प्राप्त करेगा।

6. **रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण पर स्टाक का निपटान-** खंड (4) के उपखंड (1) के अधीन जारी किसी रजिस्ट्रीकरण संख्यांक के धारक के कब्जे में अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों का स्टाक अपने

रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण पर ऐसी रीति में निपटान होगा जो इस निमित्त जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

7. अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थों का परिवहन- (1) अनुसूची -क में, नियंत्रित पदार्थों का परेषण भारत के भीतर एक स्थान से अन्य स्थान पर नहीं भेजेगा जब तक कि वह प्ररूप-झ में किसी परेषण टिप्पण के साथ न हो ।

(2) परेषण टिप्पण तीन प्रतियों में तैयार होगा और परेषण टिप्पण की मूल और दूसरी प्रतियां परेषिती को परेषण के साथ भेजनी होगी जो उसे प्राप्त परिमाण की विशिष्टियों को मूल और दूसरी प्रतियों पर पृष्ठांकन करने के पश्चात् दूसरी प्रति परेषणकर्ता को रखने के लिए वापस कर देगा ।

(3) नियंत्रित पदार्थों के परेषण की प्राप्ति की अभिप्राप्ति परेषिती से सम्यक् रूप से पृष्ठांकित होने के पश्चात् परेषणकर्ता द्वारा दूसरी प्रति के प्राप्त न होने की दशा में परेषणकर्ता परेषण की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर खंड (4) के उपखंड (8) में उपबंधित रीति में परेषण के खो जाने या गायब हो जाने की रिपोर्ट करेगा ।

(4) भारत में आयातित अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों के किसी परेषण की दशा में, ऐसा परेषण, यथास्थिति, आयातकर्ता या उपभोक्ता के किसी भांडागारण या कारखाना या कारबार के स्थापन या परिसर से प्रवेश के पत्तन से ऐसा परेषण प्रवेश पत्र के साथ होगा ।

(5) यथास्थिति, परेषण टिप्पण या प्रवेश पत्र, यथास्थिति, परेषण और परेषिती या आयातकर्ता द्वारा पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए संरक्षित किए जाएंगे ।

(6) कोई परिवहक अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थों का कोई परेषण टिप्पण या प्रवेश पत्र के बिना वहन नहीं करेगा ।

(7) परिवहक अधिनियम की धारा 42 के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति द्वारा जब अपेक्षित हो, यथास्थिति, परेषण टिप्पण या प्रवेश पत्र को प्रस्तुत करेगा ।

(8) (क) जब अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थ पैकेजिंग द्वारा मोटरचालित टैंकर या अन्यथा परिवहन किए जाते हैं तो, यथास्थिति, ऐसे टैंकरों या पैकेजों के सभी आवक और जावक छेड़छाड़ से सुरक्षित वर्णनों की पहचान करने योग्य मुहरों द्वारा मुद्रांकित होंगे और ऐसी मुहर परेषण के परिसर में लगायी जाएगी और परेषिती के परिसर से हटायी जाएगी ।

(ख) ऐसे टैंकरों या पैकेजों पर लगायी गई छेड़छाड़ से सुरक्षित मुहर का वर्णन प्रत्येक परेषण के परेषण टिप्पण या प्रवेश पत्र पर अंकित होगा ।

(ग) कोई भी व्यक्ति कोई छेड़छाड़ से सुरक्षित ऐसी मुहर का उपयोग या कब्जे में नहीं रखेगा जिसका किसी अन्य छेड़छाड़ से सुरक्षित मुहर के समरूप पहचान योग्य विवरण हो ।

(9) जब अनुसूची -क में किसी नियंत्रित पदार्थ का कोई परेषण किसी आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो की अधिकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत किसी अन्य आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो की अधिकारिता के क्षेत्र से आता है, परेषण प्ररूप- च में आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजेगा ।

स्पष्टीकरण 1- इस खंड के प्रयोजन के लिए, “प्रवेश पत्र” पद से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में यथापरिभाषित अर्थ के समान है ।

स्पष्टीकरण 2- इस खंड के प्रयोजन के लिए, आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो की अधिकारिता परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र होगी ।

8. अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थों का विक्रय- कोई व्यक्ति अनुसूची-क में किसी नियंत्रित पदार्थ का विक्रय किसी क्रेता को जो खंड (4) के उपखंड (1) के अधीन जारी कोई विद्यमान रजिस्ट्रीकरण संख्या नहीं रखता है, नहीं करेगा :

परंतु किसी नियंत्रित पदार्थ का विक्रय खंड (4) के उपखंड (1) के दूसरे परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट किसी क्रेता को बिना रजिस्ट्रीकरण संख्यांक के कर सकेगा ।

9. अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों को नष्ट करना- (1) कोई व्यक्ति, अनुसूची -क में किसी नियंत्रित पदार्थ को नष्ट करने के आशय से क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो को प्ररूप झ में आवेदन करेगा ।

(2) आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो प्ररूप- झ में किसी आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर एक समिति गठित करेगा जो स्वापक नियंत्रक ब्यूरो के एक राजपत्रित अधिकारी, संबंधित रेंज के केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के अधीक्षक और अनुसूची -क में नियंत्रित पदार्थ को नष्ट करने का पर्यवेक्षण करने वाले आवेदक का कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि से मिलकर बनेगी तथा ऐसा नष्टकरण समिति के गठन से तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए, आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो की अधिकारिता परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र होगी ।

10. अनुसूची ख में नियंत्रित पदार्थों का निर्यात- (1) कोई भी व्यक्ति, अनुसूची ख में नियंत्रित किसी पदार्थ का निर्यात स्वापक आयुक्त द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्तों के अनुसार के सिवाए नहीं करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति, जो अनुसूची -ख में किसी नियंत्रित पदार्थ का निर्यात करना चाहता है अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए प्ररूप -ज में स्वापक आयुक्त को आवेदन करेगा ।

(3) स्वापक आयुक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 21 कार्य दिवसों के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा या इंकार करेगा और नियत अवधि के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं होता है या इंकार नहीं करने की दशा में, स्वापक आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उसके कारणों को आवेदक को जानकारी देगा ।

(4) स्वापक आयुक्त द्वारा निर्यात के लिए जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र केवल एकल परेषण के लिए विधिमान्य होगा ।

(5) प्रत्येक निर्यातकर्ता, अनुसूची ख में नियंत्रित पदार्थों के निर्यात से संबंधित सभी ब्यौरे और दस्तावेज जैसे बीजक, स्थोरा मालसूची, सीमाशुल्क, परिवहन और पोत परिवहन के दस्तावेज जिसमें नियंत्रित पदार्थ का नाम, परिमाण, परेषिती, निर्यातकर्ता और आयातकर्ता का नाम और पता भी है, स्वापक आयुक्त को निर्यात के सात दिनों की अवधि के भीतर देगा ।

11. अनुसूची ग में नियंत्रित पदार्थों का आयात- (1) कोई भी व्यक्ति, अनुसूची -ग में नियंत्रित किसी पदार्थ का आयात स्वापक आयुक्त द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र के शर्तों के अनुसार के सिवाए नहीं करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति, जो अनुसूची -ग में किसी नियंत्रित पदार्थ का आयात करना चाहता है अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए प्ररूप -ट में स्वापक आयुक्त को आवेदन करेगा ।

(3) स्वापक आयुक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 21 कार्य दिवसों के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा या इंकार करेगा और नियत अवधि के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं होता है या इंकार नहीं करने की दशा में, स्वापक आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उसके कारणों को आवेदक को जानकारी देगा ।

(4) स्वापक आयुक्त द्वारा आयत के लिए जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र केवल एकल परेषण के लिए विधिमान्य होगा ।

(5) प्रत्येक आयातकर्ता, अनुसूची -ग में नियंत्रित पदार्थों के आयात से संबंधित सभी ब्यौरे और दस्तावेज जैसे बीजक, स्थोरा मालसूची, सीमाशुल्क, परिवहन और पोत परिवहन के दस्तावेज जिसमें नियंत्रित पदार्थ का नाम, परिमाण, परेषिती, निर्यातकर्ता और आयातकर्ता का नाम और पता भी है, स्वापक आयुक्त को आयात के सात दिनों की अवधि के भीतर देगा ।

12. निर्यात और आयात के परेषण पर लेबल लगाना- (1) प्रत्येक आधान या पात्र, जिसमें आयात के लिए किसी परेषण में या किसी परेषण में जिसे निर्यात किया गया है, कोई नियंत्रित पदार्थ है के लेबल पर नियंत्रित पदार्थ का नाम और उसका परिमाण, आयातकर्ता और निर्यातकर्ता या परेषिती का नाम और पता, यदि कोई हो, प्रमुख रूप से देना होगा ।

(2) नियंत्रित पदार्थों के आयात और निर्यात से संबंधित दस्तावेज जैसे बीजक, स्थोरा मालसूची, सीमाशुल्क, परिवहन और पोत परिवहन के दस्तावेजों जिसके अंतर्गत नियंत्रित पदार्थ का नाम, परिमाण, परेषिती, निर्यातकर्ता और आयातकर्ता का नाम और पता अंतर्विष्ट भी हो और दस्तावेज न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित रखने होंगे ।

13. निरसन और व्यावृत्ति- (1) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 1993 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, खंड (1) द्वारा निरसित आदेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने या कार्रवाई करने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई वहां तक, जो इस आदेश के उपबंधों से असंगत न हो, इस आदेश के उपबंधों के तत्स्थानी के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी ।

1262 GT/13-2

अनुसूची
[खंड 2(घ) देखिए]

अनुसूची- क (अनुसूची- क ऐसे पदार्थ, जो नियंत्रित पदार्थ हैं, जिनका विनिर्माण, वितरण, विक्रय, क्रय, कब्जा, भंडारण और उपभोग इस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट नियंत्रणों के अध्वधीन है।)

1. एसिटिक एनहाईड्राइड
2. एन- एसिटिलएनथ्रानिलिक अम्ल
3. एनथ्रानिलिक अम्ल
4. एफ्रेड्राइन और उसके लवण
5. स्यूडोफिडीन और उसके लवण

अनुसूची- ख (अनुसूची- ख ऐसे पदार्थ, जो नियंत्रित पदार्थ हैं, जिनका भारत से निर्यात इस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट नियंत्रणों के अध्वधीन है।)

1. एसिटिक एनहाईड्राइड
2. एन- एसिटिलएनथ्रानिलिक अम्ल
3. एनथ्रानिलिक अम्ल
4. एफ्रेड्राइन, उसके लवण और उसकी निर्मितियां
5. इरगोमेट्राइन और उसके लवण
6. इरगोटेमाइन और उसके लवण
7. आइसोसेफ्रोल
8. लेसर्जिक अम्ल और उसके लवण
9. 3, 4- मिथाइलिनेडिआक्सीफिनाइल-2-प्रोपेनोन
10. मिथाइल एथिल कीटोन
11. नोर्फेड्राइन (फिनाइलप्रोपेनोलांमिन), उसके लवण और उसकी निर्मितियां
12. 1-फिनाइल-2-प्रोपेनोन
13. फिनाइलएसिटिक अम्ल और उसके लवण
14. पिपरोनाल
15. पोटैशियम परमैंगनेट
16. स्यूडोफिडीन, उसके लवण और उसकी निर्मितियां
17. सेफ्रोल और कोई आवश्यक तेल जिसमें 4% या अधिक सेफ्रोल हो

अनुसूची- ग (अनुसूची- ग ऐसे पदार्थ, जो नियंत्रित पदार्थ हैं, जिनका भारत में आयात इस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट नियंत्रणों के अध्वधीन है।)

1. एसिटिक एनहाईड्राइड

2. एन- एसिटिलएनथ्रानिलिक अम्ल
3. एनथ्रानिलिक अम्ल
4. एफ्रेड्राइन, उसके लवण और उसकी निर्मितियां
5. इरगोमेट्राइन और उसके लवण
6. इरगोटेमाइन और उसके लवण
7. आइसोसेफ्रोल
8. लेसर्जिक अम्ल और उसके लवण
9. 3, 4- मिथाइलिनेडिआक्सीफिनाइल-2-प्रोपेनोन
10. मिथाइल एथिल कीटोन
11. नोर्फेड्राइन (फिनाइलप्रोपेनोलामिन), उसके लवण और उसकी निर्मितियां
12. 1-फिनाइल-2-प्रोपेनोन
13. फिनाइलएसिटिक अम्ल और उसके लवण
14. पिपरोनाल
15. पोटेशियम परमैंगनेट
16. स्यूडोफिडीन, उसके लवण और उसकी निर्मितियां
17. सेफ्रोल और कोई आवश्यक तेल जिसमें 4% या अधिक सेफ्रोल हो

परिशिष्ट

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के आंचलिक निदेशक की अधिकारिता का क्षेत्र

क्र.सं.	क्षेत्र	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के आंचलिक निदेशक की अधिकारिता का क्षेत्र
1.	दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (एनसीआर) और हरियाणा ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली आंचलिक इकाई, पश्चिमी ब्लाक सं0 1, विंग नं0 7, दूसरा तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली- 110066 । फैक्स नं0 011-26181449
2.	राजस्थान राज्य (राज्य के उन क्षेत्रों को छोड़कर जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं) ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जोधपुर आंचलिक इकाई, सेक्टर- 18ई, चौपासिनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर, राजस्थान । फैक्स सं0 0291-2510092
3.	उत्तर प्रदेश राज्य (राज्य के उन क्षेत्रों को छोड़कर जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं) और उत्तराखण्ड ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बी-912, सेक्टर-ए, सीआईडी कालोनी, महानगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश । फैक्स नं0 0522-2339411

4.	पश्चिमी बंगाल, ओडीशा, सिक्किम राज्य तथा अंदमान और निकोबार दीव समूह के संघ राज्यक्षेत्र ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पूर्वी आंचलिक इकाई, कोलकाता, 4/2 कशया रोड, तीसरा तल, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल- 700017 । फैक्स नं0 033-22891957
5.	महाराष्ट्र और गोवा राज्य	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मुम्बई आंचलिक इकाई, तीसरा तल, एक्सचेंज बिल्डिंग, स्प्रोट रोड, बलार्ड एस्टेट, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400001
6.	केरल, तमिलनाडु राज्य तथा पुडुचेरी और लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्र ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, चेन्नई आंचलिक इकाई, सी-3ए, राजाजी भवन, बेसंट नगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600090 । फैक्स नं0 044-24910937
7.	पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्य और चंडीगढ़ के संघ राज्यक्षेत्र ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, चंडीगढ़ आंचलिक इकाई, इलैक्ट्रिक स्टोर बिल्डिंग, चितकारा इंट. स्कूल, सेक्टर- 25(वेस्ट), चंडीगढ़ फैक्स नं0 0172 - 2780108
8.	जम्मू-कश्मीर राज्य ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जम्मू आंचलिक इकाई, चंदन विहार, म0सं0 1, लेन-1, लोअर रूप नगर, मुथी कैम्प, जम्मू, जम्मू-कश्मीर - 180005 । फैक्स नं. 00191-2598029
9.	गुजरात राज्य तथा दमन और दीव तथा दादरा और नागर हेवली के संघ राज्यक्षेत्र ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अहमदाबाद आंचलिक इकाई, दूसरा और तीसरा तल, स्क्रीन बिल्डिंग, ड्राइव-इन-सिनेमा, ड्राइव-इन-रोड, थलतेज, अहमदाबाद, गुजरात- 380054 फैक्स नं0 079- 27497330

10.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, इंदौर आंचलिक इकाई, 19/सी/ए/एसएलआईसीई-5, विजय नगर, “अरण्य”, डाकघर- विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452010 । फैक्स नं0 0731- 2557701
11.	बिहार और झारखंड राज्य ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना आंचलिक इकाई, 67, कौटिल्य नगर, नियर वीबी कालेज पटना- 14, बिहार । फैक्स नं0 0612-2296159
12.	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गुवाहाटी आंचलिक इकाई, मकान नं0 25, एस.के. बरुआ रोड, पहला बाइ-लेन, दिसपुर, गुवाहाटी, असम- 781006 । फैक्स नं0 0361- 2229375
13.	कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्य	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बंगलौर आंचलिक इकाई, 7/1 और 2, प्रियंका विलास, रमन्ना गार्डन, कटिगेनहल्ली, बंगलूर मेन रोड, पोस्ट- एयर फोर्स स्टेशन येल्हंका, बंगलौर, कर्नाटक - 560063 । फैक्स नं0 080- 28478316

1262 GFI/13-3

प्ररूप-क

[खंड-4 का उप-खंड (1) देखें]

अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण/वितरण/विक्रय/क्रय/कब्जा/भंडारण/उपभोग के लिए
रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण सं०..... जारी करने की तारीख.....

.....(नाम और पता)..... को
निम्नलिखित के लिए रजिस्ट्रीकृत किया जाता है (जो लागू न हो उसे काट दें)

(1)	विनिर्माण		(2)	वितरण	
(3)	विक्रय		(4)	क्रय	
(5)	कब्जा		(6)	भंडारण	
(7)	उपभोग		(8)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

अनुसूची-क में निम्नलिखित नियंत्रित पदार्थ

क्रम सं०	अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थ का नाम	परिसर के ब्यौर

2. यह रजिस्ट्रीकरण नीचे वर्णित शर्तों और कुछ अन्य शर्तों जो कि तत्समय प्रवृत्त स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन विनिर्दिष्ट आदेश के अधीन है।

कार्यालय की मुहर	हस्ताक्षर..... पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में..... पद नाम.....
------------------	---

रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

1. यह रजिस्ट्रीकरण अंतरणीय नहीं है।
2. यह रजिस्ट्रीकरण अनुमोदित परिसर में रखा जाएगा और यह रजिस्ट्रीकरण जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए किसी अभिहित/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
3. अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थ से भिन्न किसी अन्य पदार्थ जिसके लिए यह रजिस्ट्रीकरण जारी किया गया है क्रमशः इसमें वर्णित परिसर में उसका विनिर्माण नहीं होगा।
4. इस रजिस्ट्री का धारक, रजिस्ट्रीकरण के अधीन प्रचालित व्यक्ति या अस्तित्व के गठन में किसी परिवर्तन की घटना की जानकारी इस रजिस्ट्रीकरण करने वाले प्राधिकारी को लिखित में देगा। व्यक्ति जहां अस्तित्व के गठन में किसी परिवर्तन होने की स्थिति में वर्तमान रजिस्ट्रीकरण परिवर्तन होने की तारीख से अधिकतम तीन माह की अवधि विधिमान्य समझी जाएगी, जब तक कि इस अवधि में परिवर्तित गठन के साथ व्यक्ति या अस्तित्व के नाम से यह रजिस्ट्रीकरण जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा नहीं करवाया गया है।

(छ) कारबार परिसर की निश्चित सीमाएं (विवरण-भू राजस्व अभिलेख के अनुरूप होना चाहिए)

- (1) उत्तर :
- (2) दक्षिण :
- (3) पूर्व :
- (4) पश्चिम :

(ज) कारबार परिसर जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जा रहा है उससे संबंधित आवेदक के संपत्ति धारण अधिकार (कृपया उचित डिब्बे में चिन्ह लगाएं) :

स्वामित्व	पट्टा/भाटक	
यदि स्वामित्व है तो	बंधक	
	आडमान	
कृपया बंधक/आडमान के ब्यौरे को विनिर्दिष्ट करें		

(झ) आवेदन को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति और प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और पता

(1) आवेदन को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति

नाम	
पदनाम	
पता	
संपर्क दूरभाष	
ई-मेल आईडी	
दोषसिद्ध/लंबित मामले (यदि हां तो अलग कागज में उसका ब्यौरा)	हां/नहीं
हस्ताक्षर का नमूना	
सरकारी संगठन/निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें	

टिप्पण : (1) प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में उपरोक्त ब्यौरा एक अलग कागज में दिया जाए।

(2) सभी व्यक्तियों से संबंधित प्राधिकार पत्र की प्रति संलग्न किया जाए।

1262 G.I/13-4

भाग-3

(क) सरकारी अभिकरण/विभाग से अभिप्राप्त कारबारी संव्यवहार संख्या

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या		तक वैद्यता
केन्द्रीय विक्रय कर संख्या		
राज्य विक्रय कर संख्या		
विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्या		
सीमा शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या		
महानिदेशालय विदेश व्यापार आयात निर्यात कोड संख्या		
कंपनी रजिस्ट्रार सीआईएन संख्या		
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति		
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

घोषणा

मैं.....घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारियां हर तरह सही, सत्य और पूर्ण हैं और मैं आवेदक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान :

तारीख :

(आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर)

संलग्नकों की सूची :

- (1).....
- (2).....
- (3).....
- (4).....
- (5).....
- (6).....
- (7).....

टिप्पण :

- (1) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे।
- (2) इस आवेदन को जमा करते समय जो जानकारी उपलब्ध नहीं है वो रजिस्ट्रीकरण जारी होने के पश्चात् भी, जब कभी उपलब्ध हो, प्रदान की जाएगी।

प्ररूप-ग

[खंड-4 का उप-खंड (5) देखें]

अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण का रजिस्ट्रीकरण

खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण संख्या :

मास : नियंत्रित पदार्थ का नाम :

तारीख	दिन के प्रारंभ में हाथ में परिमाण	विनिर्माण पदार्थ का परिमाण	कारखाने से बाहर भेजे जाने वाले नियंत्रित पदार्थ के परिमाण के बारे में		
			क्रम सं०	भेजा गया परिमाण	जिसे भेजा गया है (रजिस्ट्रीकरण संख्या, व्यक्ति का नाम और पता और परिसर का स्थान दिया जाएगा।)
1	2	3	4	5	6

कारखाने से बाहर भेजा गया कुल परिमाण	उठाई-धराई में हुई हानि	दिन के अंत में हाथ में परिमाण	प्राधिकृत व्यक्ति के आक्षर
7	8	9	10

टिप्पण :

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित क्रिया जाएगा।
- (2) इस अभिलेख को दिन-प्रतिदिन के आधार पर अनुरक्षित किया जाएगा और प्रविष्टियां, प्रत्येक उस दिन के लिए जब स्थापना खुलता है बिना इस बात के विचार किये कि संव्यवहार हुआ है या नहीं की जाएंगी और प्रत्येक दिन के लिए की गई प्रविष्टियां को दिन के समाप्त होने से पहले पूरा किया जाएगा और लेखों को अनुरक्षित रखने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के प्रविष्टि के पश्चात् अपने आक्षर बनाएगा रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर चालू क्रमांक संख्या अंतर्विष्ट होगी
- (3) यदि एक से अधिक नियंत्रित पदार्थ का प्रयोग हो रहा है तो प्रत्येक पदार्थ के लिए पृथक रजिस्टर रखा जाएगा।

प्ररूप-घ

[खंड-4 का उप-खंड (5) देखें]

अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों के उपभोग, विक्रय, आयात या निर्यात का रजिस्ट्रीकरण
खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण संख्या :
मास : नियंत्रित पदार्थ का नाम :

तारीख	दिन के प्रारंभ पर हाथ में परिमाण	विनिर्माण पदार्थ का परिमाण	प्राप्त/आयात पदार्थ के परिमाण का ब्यौरे		
			परिमाण	जिससे प्राप्त किया है (व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण संख्या, नाम और पता दिया जाएगा)	परेषण टिप्पण/प्रविष्टि संख्या का बिल
1	2	3	4	5	6

पदार्थ के वितरण/विक्रय/निर्यात/उपभोग के परिमाण का ब्यौरे					
क्रम सं०	परिमाण	व्यक्ति की रजिस्ट्रीकरण संख्या, नाम और पता और परिसर का स्थान भी दिया जाएगा।	परेषण टिप्पण /जारी करने की पर्ची संख्या	उपभोग किया गया	उपभोग का प्रयोजन
7	8	9	10	11	12

उठाई-घराई में हुई हानि (यदि कोई)	दिन के अंत में हाथ में परिमाण	प्राधिकृत व्यक्ति के आधक्षर
13	14	15

टिप्पण :

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित किया जाएगा।
- (2) इस अभिलेख को दिन-प्रतिदिन के आधार पर अनुरक्षित किया जाएगा और प्रविष्टियां, प्रत्येक उस दिन के लिए जब स्थापना खुलता है बिना इस बात के विचार किये कि संव्यवहार हुआ है या नहीं की जाएंगी और प्रत्येक दिन के लिए की गई प्रविष्टियां को दिन के समाप्त होने से पहले पूरा किया जाएगा और लेखों को अनुरक्षित रखने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पश्चात् अपने आधक्षर बनाएगा रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर चालू क्रमांक संख्या अंतर्विष्ट होगी
- (3) यदि एक से अधिक नियंत्रित पदार्थ का प्रयोग हो रहा है तो प्रत्येक पदार्थ के लिए पृथक रजिस्टर रखा जाएगा।
- (4) आयात/निर्यात की दशा में रजिस्ट्रीकरण संख्या के स्थान पर स्वापक आयुक्त द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख को उपदर्शित किया जाएगा
- (5) जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप-ड
[खंड-4 का उप-खंड (6) देखें]
अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण की तिमाही विवरणी

तिमाही जो.....को समाप्त हो रही है, के लिए विवरणी

1. खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी गई रजिस्ट्रीकरण संख्या
2. विनिर्माणकर्ता का नाम
3. पता
4. नियंत्रित पदार्थ का नाम
5. तिमाही के प्रारंभ पर में नियंत्रित पदार्थ का आरंभिक अतिशेष
6. विनिर्माण और विक्रय का ब्यौरा

विनिर्माण		विक्रय			
तारीख	परिमाण	तारीख	जिसे बेचा गया है (व्यक्ति की रजिस्ट्रीकरण संख्या, नाम और पता और परिसर का स्थान)	परिमाण नोट सं०	परिमाण
कुल योग					कुल योग

7. तिमाही के अंत में अतिशेष
8. क्या विवरणी नियत तारीख के भीतर फाइल की गई है : हां/नहीं
9. यदि विवरणी नियत तारीख के भीतर फाइल नहीं की गई है, तो विवरणी को विलंब से प्रस्तुत करने के लिए जुर्माने के संदाय के ब्यौरों विनिर्दिष्ट करें।

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दी गई जानकारी सही है और सुसंगत अभिलेख मेरे/हमारे पास उपलब्ध है

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

तारीख.....

टिप्पण :

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक नियंत्रित पदार्थ के लिए पृथक विवरणी भेजी जाएगी।
- (3) यह विवरणी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को भेजी जाएगी।
- (4) आयात/निर्यात की दशा में रजिस्ट्रीकरण संख्या के स्थान पर स्वापक आयुक्त द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख उपदर्शित की जाएगी।

1262 GE/13-5

प्ररूप-च

[खंड-4 का उप-खंड (6) देखें]

नियंत्रित पदार्थ की प्राप्ति, आयात, विक्रय, उपभोग या निर्यात की तिमाही विवरणी तिमाही जो.....को समाप्त हो रही है, के लिए विवरणी

1. खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी गई रजिस्ट्रीकरण संख्या
2. विक्रयकर्ता, वितरणकर्ता, निर्यातकर्ता, आयातकर्ता या उपभोक्ता का नाम
3. पता
4. नियंत्रित पदार्थ का नाम
5. तिमाही के प्रारंभ पर में नियंत्रित पदार्थ का आरंभिक अतिशेष
6. परिमाण प्राप्ति और विक्रय, उपभोग या निर्यात का ब्यौरा

प्राप्ति/आयात				
तारीख	जिसे भेजा गया है (व्यक्ति का नाम और पता)	परिमाण नोट संख्या	बेची हुई/उपभोग की गई/निर्यातित परिमाण	कुल योग

विक्रय, उपभोग या निर्यात				
तारीख	जिसे भेजा गया है (व्यक्ति का नाम और पता)	परिमाण नोट संख्या	बेची हुई/उपभोग की गई/निर्यातित परिमाण	कुल योग

7. तिमाही के अंत में अतिशेष
8. क्या विवरणी नियत तारीख के भीतर फाइल की गई है : हां/नहीं
प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दी गई जानकारी सही है और सुसंगत अभिलेख मेरे/हमारे पास उपलब्ध है

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

तारीख.....

टिप्पण :

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित किया जाएगा ।
- (2) प्रत्येक नियंत्रित पदार्थ के लिए पृथक विवरणी भेजी जाएगी ।
- (3) जो लागू न हो उसे काट दें
- (4) आयात/निर्यात की दशा में रजिस्ट्रीकरण संख्या के स्थान पर स्वापक आयुक्त द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख उपदर्शित की जाएगी ।
- (5) यह विवरणी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को भेजी जाती है ।

प्ररूप-छ
[खंड-7 का उप-खंड (1) देखें]
परेषण नोट
(नियंत्रित पदार्थ के परेषण के साथ भेजने के लिए)

क्रम सं०	परेषण को प्रेषित करने की तारीख और समय	
1.	खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी की गई परेषणकर्ता की रजिस्ट्रीकरण संख्या	
2.	परेषणकर्ता का नाम और पता :	
3.	परेषिती का नाम और पता :	
4.	खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी परेषिती की रजिस्ट्रीकरण संख्या :	
5.	परेषण का विवरण और परिमाण	
नियंत्रित पदार्थ की विशिष्टियां	पैकेज की संख्या	परिमाण (कि.ग्रा.में)
		सकल भार शुद्ध भार

6. परिवहन का तरीका (परिवाहक, गाड़ी की रजिस्ट्रीकरण संख्या, आर.आर./एल.आर, यदि परिवहन रेलवे या माल परिवहन है, की विशिष्टियां, यदि कोई हो)
7. टेम्पर-प्रूफ सीलों की कुल संख्या जो कि मोटर सहित टैंकर/अन्य पैकेजों पर लगी है और उनके प्रत्येक विवरण

परेषणकर्ता के तारीख के साथ हस्ताक्षर
(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)

8. परेषिती द्वारा प्राप्त करने की तारीख और समय और उसकी टिप्पणियां

परेषिती के हस्ताक्षर
(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)

टिप्पण :

- (1) परेषण नोट को वार्षिक आधार पर क्रमबद्ध संख्यांक दिया जाएगा ।
- (2) परेषणकर्ता को परेषण पुस्तिका में अंतर्विष्ट पृष्ठों के संख्या को दर्शित करते हुए परेषण टिप्पण अंतर्विष्ट करने वाली प्रत्येक पुस्तक के कवर पृष्ठ पर एक प्रमाण-पत्र अभिलिखित करना चाहिए ।
- (3) परेषण नोट अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तक जो उपयोग हुई हो या वर्तमान में उपयोग हो रही है, प्राधिकृत अधिकारी के पूछने पर प्रस्तुत की जाएगी ।

प्ररूप-ज
[खंड-7 का उप-खंड (9) देखें]

परिषणकर्ता के क्षेत्र से बाहर के परिषिती को नियंत्रित पदार्थ के परिवहन की तिमाही रिपोर्ट तिमाही जो.....को समाप्त हो रही है, के लिए विवरणी

1. खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी किया गया परिषणकर्ता की रजिस्ट्रीकरण संख्या
2. परिषणकर्ता का नाम
3. पता
4. नियंत्रित पदार्थ का नाम :
5. क्षेत्रीय निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्र की अधिकारिता को भेजे गए परिषणों के ब्यौरे जिसे रिपोर्ट भेजी जाती है ।

क्रम सं०	जिस तारीख को भेजा गया	परिमाण	जिसे भेजा गया है (खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी की गई रजिस्ट्रीकरण संख्या)	परिषण नोट सं०	परिवहन का तारीका

हस्ताक्षर :

पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में :

पदनाम :

तारीख.....

टिप्पण :

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित करे
- (2) प्रत्येक नियंत्रित पदार्थ के लिए पृथक विवरणी भेजी जाएगी

प्ररूप-झ
[खंड-9 का उप-खंड (1) देखें]

अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थ के नाशन के लिए आवेदन

1.	खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी किया गया परेषणकर्ता का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
2.	आवेदक का नाम और पता	
3.	नियंत्रित पदार्थ का नाम	
4.	नियंत्रित पदार्थ का परिमाण जो नाश होना है	
5.	पैकिंग का प्रकार और पैकेजों की संख्या	
6.	नियंत्रित पदार्थ के भंडारण का स्थान, यदि उपरोक्त क्र.सं. 2 से पृथक हो तो	
7.	नाशन का कारण की यह क्यों आवश्यक है	
8.	नियंत्रित पदार्थ के नाशन की प्रस्तावित रीति प्रस्तावित और प्रस्तावित स्थान	
9.	क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण रजिस्ट्रीकरण के प्ररूप 2-3 में दर्शाया गया है ? यदि हां तो रजिस्टर के सुसंगत पृष्ठ की प्रति संलग्न करे	
10.	क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण उस विवरणी में दर्शाया है जिसे फाइल किया है ? यदि हां तो फाइल की गई पिछली विवरणी की प्रति संलग्न करे ।	

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

तारीख :

स्थान :

टिप्पण :

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित किया जाएगा ।
- (2) अनुसूची-क के प्रत्येक नियंत्रित पदार्थ के नाशन के लिए पृथक आवेदन भेजा जाएगा ।
- (3) यह आवेदन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को भेजा जाना है ।

1262 G.I/13-6

प्ररूप-ज
[खंड-10 का उप-खंड (2) देखें]
अनुसूची-ख के नियंत्रित पदार्थ के निर्यात के लिए आवेदन पत्र

1. निर्यातकर्ता (नाम, पता, दूरभाष और फैक्स संख्या) ओषधि/व्यापार अनुज्ञप्ति संख्या : 3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या और जारीकर्ता प्राधिकारी	2. एनओसी संख्या जारी करने की तारीख जारी करने का स्थान -तक वैध (स्वापक के केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा भरा जाए)
4. आयातकर्ता (नाम और पता) अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण संख्या	5. जारीकर्ता प्राधिकारी (नाम, पता और टेली-फेसीमाईल संख्या) : भारत के स्वापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, वित्त मंत्रालय 19, मॉल रोड, मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474006 भारत दूरभाष सं० : 91-751-2368121 और 2368996/2368997 फैक्स सं० : 91-751-2368111/2368577 वेबसाइट : http://cbn.nic.in , http://cbnonline.gov.in ई-मेल : narcom@sanchamet.in , narcommr@cbn.nic.in
6. अन्य आपरेटर/अधिकर्ता (नाम और पता)	7क. आयात प्रमाणपत्र/एनओसी सं० 7ख. जारीकर्ता प्राधिकारी (नाम और पता) दूरभाष सं० : फैक्स संख्यांक :
8. अंतिम परेषिती/पुनःविक्रय की दशा में (नाम और पता)	9. भारत से निकासी का स्थान 10. परिवहन का तरीका 11. आयातक देश में प्रवेश का स्थान 12. मार्ग

13. निर्यात किए जाने वाले पदार्थ का पूरा नाम	परिमाण	वजन/मात्रा प्रति ईकाई	14. एचएस संख्या	15. सीएस संख्या	16. नियंत्रित पदार्थ का शुद्ध भार (किलोग्राम में)
(1)					
कार्टन की संख्या : प्रत्येक पैकेट/कार्टन का भार : प्रति ईकाई/कि.ग्रा. : रु० में..... यूएस \$ में..... कुल लागत : रु० में..... यूएस \$ में.....					17. मिश्रण का % 18. बीजक संख्या

निर्यातकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली पृष्ठभूमि की जानकारी (नीचे दिए गए प्रश्न संव्यवहार की जानकारी के लिए हैं और इनका आशय इस आवेदन पर शीघ्र कार्यवाही हेतु केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की सहायता करना है। पूर्ण जवाब देने में चूक होने पर एनओसी विलंब से जारी हो सकता है।)	
19. क्या निर्यात पुनःनिर्यात के प्रयोजन से किया जा रहा है ? यदि हां तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें।	हां/नहीं
20. क्या आपकी कंपनी रसायनों के निर्यात के लिए पूर्व से ही केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत है ? यदि हां तो पिछले 3 निर्यातों की तारीख और निर्देश प्रस्तुत करें। (1)..... (2)..... (3).....	हां/नहीं
21. क्या परेषिती इस रसायन के लिए नया उपभोक्ता है ? यदि हां तो उपभोक्ता के कारबार की प्रकृति क्या है ? रसायन किस उपयोग में लाया जाएगा ?	हां/नहीं
22. क्या आर्डर प्रत्यक्षतः दिया गया था या किसी दलाल द्वारा दिया गया था ? यदि दलाल द्वारा दिया गया था तो कृपया उसका नाम और पता बताएं :	हां/नहीं
23. क) संव्यवहार के लिए संदाय का तरीका ? ख) संदाय पाने वाले का नाम और पता..... ग) संदाय का परिहार करने वाले बैंक का नाम और पता..... घ) संदाय प्राप्त करने वाले बैंक का नाम और पता.....	
24. कृपया परेषण की पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए उपभोक्ता के निर्देशों के ब्यौरा दीजिए :	हां/नहीं
25. क्या परेषण का गंतव्य निश्चित है, या अभिवहन होगा या मुक्त व्यापार जोन, मुक्त पत्तन या बंधित भंडागार है ? यदि हां तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें :	हां/नहीं
26. क्या आयातक देश के सक्षम प्राधिकारियों ने आयात को प्राधिकृत कर दिया है ? कृपया साक्ष्य के लिए आयात प्राधिकार/अनापत्ति-प्रमाण पत्र और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की मूल प्रति संलग्न करें।	हां/नहीं
27. क्या आप विनिर्माता निर्यातकर्ता हैं ? यदि हां तो आप कच्चा माल/तैयार उत्पाद कहां से उपाप्त करते हैं ? प्रदायकर्ता/विनिर्माता का नाम और पता और उसका परिमाण और कीमत कच्चे माल के प्रदायकर्ता के ओषधि अनुज्ञप्ति की प्रति, जहां लागू हो ?	हां/नहीं
28. क्या आप व्यापारी निर्यातकर्ता है ? यदि हां तो आप नियंत्रित पदार्थों को कहां से उपाप्त करते हैं ? प्रदायकर्ता/विनिर्माता का नाम और पता और उसका परिमाण और कीमत। नियंत्रित पदार्थों के प्रदायकर्ता/विनिर्माता की ओषधि अनुज्ञप्ति की प्रति, जहां लागू हो।	हां/नहीं
29. आवेदक द्वारा घोषणा :	

<p>मैं अपने सर्वोत्तम विश्वास से पुष्टि करता हूँ कि इस आवेदन में दी गई सभी जानकारियाँ सत्य हैं ।</p> <p>हस्ताक्षर :कंपनी/फर्म में स्थान :</p> <p>नाम :(आवेदक) मुहर/सील</p> <p>प्रतिनिधित्व :</p> <p>तारीख :</p>	
---	--

आवेदन के साथ प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों की सूची

- (i) यदि नियंत्रित पदार्थ अनुसूची-क में भी है तो उसका इस आदेश के खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन हुए रजिस्ट्रीकरण की प्रति ।
- (ii) प्रस्तावित निर्यात के लिए क्रेता/अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत क्रय आर्डर ;
- (iii) आयातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल आयात प्रमाणपत्र (जहां लागू हो)
- (iv) विनिर्माता निर्यातकर्ता के होने की दशा में, वैद्य ओषधि विनिर्माण अनुज्ञप्ति की प्रति के साथ राज्य ओषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उत्पादों की सूची, यदि निर्यात किए जाने के लिए आशयित नियंत्रित पदार्थ ओषधि के प्रवर्ग में आता है ।
- (v) निर्यातकर्ता के व्यापारी होने की दशा में, राज्य ओषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा ओषधियों के विक्रय के लिए जारी, बेचने स्टॉक या प्रदर्शन (या प्रस्ताव) की वैद्य अनुज्ञप्ति की प्रति । साथ ही नियंत्रित पदार्थों के प्रदायकर्ता/विनिर्माता की ओषधि अनुज्ञप्ति की प्रति, जहां लागू हो ।
- (vi) आयातक/अंतिम परेषिती द्वारा आशयित अंतिम उपयोग की घोषणा ।

नियंत्रित पदार्थों का पहली बार निर्यात करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची

- (क) नियंत्रित पदार्थ विनिर्माता कंपनी के विभिन्न कारखानों का पूर्ण डाक पता और दूरभाष और फैंक्स संख्या जिसके अंतर्गत कारखानों के संबंध में अधिकारिता वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रमार और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरा के क्षेत्रीय कार्यालय हैं ।
- (ख) कंपनी द्वारा विनिर्माण किए जा रहे नियंत्रित पदार्थों की सूची और पिछले तीन कैलेंडर वर्षों (1 जनवरी से 31 दिसंबर) में कंपनी द्वारा नियंत्रित पदार्थों के ब्यौरे ।
- (ग) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में (1 जनवरी से 31 दिसंबर) के दौरान कंपनी द्वारा नियंत्रित पदार्थों के निर्यात/आयात के ब्यौरे ।
- (घ) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों, स्वामिनों/भागीदारों, उत्पादन और वित्त के भार साधक के नाम, पते, दूरभाष और फैंक्स संख्या ।
- (ङ) विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर रजिस्ट्रीकरण सं०, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण सं० और कंपनी की पै न सं०, आयात-निर्यात कोड, कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के साथ कंपनी के निगमन का प्रमाणपत्र/भागीदारी विलेख (इन दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत की जाएंगी) ।

- (च) संबंधित अधिकारिता वाले सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय का नाम ।
- (छ) पिछले तीन वर्षों का कंपनी/फर्म का वित्तीय कथन ।
- (ज) कंपनी की रूपरेखा ।
- (झ) निदेशक बोर्ड/कंपनी/फर्म के स्वामी/भागीदार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत, प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के नमूना हस्ताक्षर के साथ कंपनी/फर्म के दो प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के ब्यौरे ।

प्ररूप-ट

[खंड-11 का उप-खंड (2) देखें]

अनुसूची-ग के नियंत्रित पदार्थ के आयात के लिए आवेदन पत्र

1. आयातकर्ता (नाम, पता, दूरभाष और फैक्स संख्या) ओषधि/व्यापार अनुज्ञप्ति संख्या : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या और जारीकर्ता प्राधिकारी	2. एनओसी संख्या जारी करने की तारीख जारी करने का स्थान तक वैध (स्वापक के केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा भरा जाए) 3. प्रेषित करने की अपेक्षित तारीख
4. आयातकर्ता (नाम और पता) अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण संख्या	5. जारीकर्ता प्राधिकारी (नाम, पता और टेली-फेसीमाईल संख्या) : भारत के स्वापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, वित्त मंत्रालय 19, मॉल रोड, मुसर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474006 भारत दूरभाष सं० : 91-751-2368121 और 22368996/2368997 फैक्स सं० : 91-751-2368111/2368577 वेबसाइट : http://cbn.nic.in , http://cbnonline.gov.in ई-मेल : narcom@sanchamet.in , narcommr@cbn.nic.in
6. अन्य अपरेटर/अधिकर्ता (नाम और पता)	7क. ओषधि नियंत्रक की सिफारिश : 7ख. जारीकर्ता प्राधिकारी (नाम और पता) दूरभाष सं० : फैक्स संख्यांक :
8. अंतिम परेषिती/पुनःविक्रय की दशा में (नाम और पता)	9. भारत में प्रवेश का स्थान 10. परिवहन का तरीका 11. निर्यातक देश से प्रवेश का स्थान 12. मार्ग

13. आयात किए जाने वाले पदार्थ का पुरा नाम	परिमाण	वजन/मात्रा प्रति ईकाई	14. एचएस संख्या	15. सीएस संख्या	16. नियंत्रित पदार्थ का शुद्ध भार (किलोग्राम में)
(1)					
कार्टन की संख्या : प्रत्येक पैकेट/कार्टन का भार : प्रति ईकाई/कि.ग्रा. : कुल लागत :					17. मिश्रण का % 18. बीजक संख्या
		₹० में..... यूएस \$ में.....			
		₹० में..... यूएस \$ में.....			

1262 GI/13-7

आयातकों द्वारा दी जाने वाली पृष्ठभूमि की जानकारी	
(नीचे दिए गए प्रश्न संव्यवहार की जानकारी के लिए हैं और इनका आशय इस आवेदन पर शीघ्र कार्यवाही हेतु केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की सहायता करना है। पूर्ण जवाब देने में चूक होने पर प्राधिकार विलंब से जारी हो सकता है।)	
19. क्या आयात भारत में निर्यात/पुनःविक्रय के प्रयोजन से किया जा रहा है ? यदि हां तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत दीजिए।	हां/नहीं
20. क्या आपकी कंपनी इन रसायनों का पूर्व में आयात कर चुकी है ? यदि हां तो कृपया पिछले 3 सालों के आयातित परेषण के अनुसार निर्देश तारीख और लागत प्रस्तुत करें। (1)..... (2)..... (3).....	हां/नहीं
21. रसायन के आयात का प्रयोजन। क्या आप विनिर्माता या व्यापारी हैं, कृपया उपदर्शित करें। (क) यदि व्यापारी है तो, अंततः परेषण किसके पास जाएगा। अंतिम उपयोक्ता का नाम और पता, विक्रय कीमत और उसके द्वारा क्रय करने का प्रयोजन। (ख) यदि विनिर्माता हैं तो आयातित रसायन से कितना तैयार उत्पाद अभिप्राप्त होगा (आगत-निर्गत अनुपात) ? तैयार उत्पाद की विक्रय कीमत क्या होगी ? इन रसायनों का क्या उपयोग किया जाएगा ?	हां/नहीं
22. क्या आर्डर प्रत्यक्षतः दिया गया था या किसी दलाल द्वारा दिया गया था ? यदि दलाल द्वारा दिया गया था तो कृपया उसका नाम पता और उसे संदत्त प्रतिफल की मात्रा बताएं :	हां/नहीं
23. क) संव्यवहार के लिए संदाय का तरीका ?	
24. क्या आपने इस रसायन को घरेलू बाजार से उपाप्त किया है (एक वर्ष के भीतर) यदि हां तो उसके प्रदायकर्ता का नाम और पता सहित ब्यौरा दीजिए (मात्रा के अनुसार और क्रय की कीमत) :	हां/नहीं
25. पिछले तीन सालों के दौरान रसायन उपारित और उपभोग/पुनःविक्रय/प्रसंस्करण हानि (यदि है) का ब्यौरा दें :	हां/नहीं
26. क्या राज्य/देश के ओषधि नियंत्रण प्राधिकारियों से प्रस्तावित आयात के लिए विशिष्ट अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त है ? साक्ष्य के रूप में ओषधि नियंत्रक द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की मूल प्रति संलग्न करें।	हां/नहीं
27. आवेदक द्वारा घोषणा : मैं अपने सर्वोत्तम विश्वास से पुष्टि करता हूँ कि इस आवेदन में दी गई सभी जानकारियां सत्य है। हस्ताक्षर :कंपनी/फर्म में स्थान : नाम :(आवेदक) मुहर/सील प्रतिनिधित्व : तारीख :	

आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- (i) यदि नियंत्रित पदार्थ अनुसूची-क में भी है तो, इस आदेश के खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन हुए रजिस्ट्रीकरण की प्रति ।
- (ii) विदेशी विक्रेता द्वारा करार/संविदा/क्रय आर्डर की पुष्टि की प्रति ।
- (iii) ओषधि महानियंत्रक (भारत) द्वारा जारी की गई परीक्षण, प्रयोग और विश्लेषण के प्रयोजन के लिए ओषधि के आयात की अनुज्ञप्ति (ओषधि और प्रसाधन नियम, 1945 का प्ररूप 11), यदि आयात परीक्षण, और विश्लेषण के लिए किया जा रहा है ।
- (iv) ओषधि महानियंत्रक (भारत) द्वारा जारी की गई ओषधि के आयात (ओषधि और प्रसाधन नियम, 1945 का प्ररूप 10), यदि आयात व्यापार करने या विनिर्माण सूत्रीकरण के उपयोग के लिए है ।
- (v) पूर्व में आयातित नियंत्रित पदार्थों से संबंधित निबटान ब्यौरा ।
- (vi) विनिर्माता के मामले में, जहां कहीं लागू हो, राज्य ओषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुमोदित उत्पादों की सूची के साथ वैद्य ओषधि विनिर्माण अनुज्ञप्ति की प्रति ।
- (vii) व्यापारी के मामले में, जहां कहीं लागू हो, राज्य ओषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी ओषधि के विक्रय और वितरण के लिए बेचने स्टॉक या प्रदर्शन (या प्रस्ताव) की वैद्य अनुज्ञप्ति की प्रति ।

नियंत्रित पदार्थों का पहली बार आयात करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची

- (क) नियंत्रित पदार्थ विनिर्माता कंपनी के विभिन्न कारखानों का पूर्ण डाक पता और दूरभाष और फैक्स संख्या जिसके अंतर्गत कारखानों के संबंध में अधिकारिता वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभार और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय हैं ।
- (ख) कंपनी द्वारा विनिर्माण किए जा रहे नियंत्रित पदार्थों की सूची और पिछले तीन कैलेंडर वर्षों (1 जनवरी से 31 दिसंबर) में कंपनी द्वारा नियंत्रित पदार्थों के ब्यौरे ।
- (ग) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में (1 जनवरी से 31 दिसंबर) के दौरान कंपनी द्वारा नियंत्रित पदार्थों के निर्यात/आयात के ब्यौरे ।
- (घ) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों, स्वामियों/भागीदारों, उत्पादन और वित्त के भार साधक के नाम, पते, दूरभाष और फैक्स संख्या ।
- (ङ) विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर रजिस्ट्रीकरण सं०, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण सं० और कंपनी की पैन सं०, आयात-निर्यात कोड, कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के साथ कंपनी के निगमन का प्रमाणपत्र/भागीदारी विलेख (इन दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत की जाएंगी) ।
- (च) संबंधित अधिकारिता वाले सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय का नाम ।
- (छ) पिछले तीन वर्षों का कंपनी/फर्म का वित्तीय कथन ।

- (ज) कंपनी की रूपरेखा ।
 (झ) निदेशक बोर्ड/कंपनी/फर्म के स्वामी भागीदार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत, प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के नमूना हस्ताक्षर के साथ कंपनी/फर्म के दो प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के ब्यौरे ।

[फा. सं. एन/11012/3/2010-एनसी-II]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2013

G.S.R. 191(E).—In exercise of the powers conferred by section 9A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In this Order, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);
 (b) “Appendix” means the Appendix appended to this Order;
 (c) “Form” means a form annexed to this Order;
 (d) “Schedule” means the Schedules annexed to this Order.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meaning as defined in the Act.

3. Power to include Controlled Substance in Schedules.— The Central Government may, by notification in the Official Gazette, include any controlled substance in one or more Schedules.

4. Prohibition of manufacture, trade and commerce, possession and consumption of controlled substance in ‘Schedule-A’.— (1) No person shall manufacture, distribute, sell, purchase, possess, store, or consume any controlled substance included in Schedule-A without a unique registration number in Form-A issued by the Zonal Director of Narcotics Control Bureau:

Provided that the requirement of registration under this clause shall be complied within a period of 180 days of the coming into force of this Order:

Provided further that the Government or autonomous institutions, Schools or Colleges or Universities recognised by the Government, registered Scientific Societies and Hospitals using any controlled substance in Schedule-A for educational, scientific and analytical purposes are exempted from the registration.

(2) Every application for registration under sub-clause (1) shall be made in Form-B to the Zonal Director of Narcotics Control Bureau having jurisdiction over the area.